राजस्व वाद संख्या :– 228 / 2023
विजय बनाम रोहताश सिंह वगै०
निर्णय दिनांक:–29/7/.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपक चंदन ,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. – 228 / 2023

1. अभिषेक रावत पुत्र मुंशी रावत जाति खटीक निवासी मण्ड्रेला जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—— **वादीगण**

बनाम

1. रोहताश, पुत्र श्री देवकरण, जाति मेघवाल, निवासी धींधवा आथूना, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू–राज०
2. महेन्द्र, पुत्र श्री देवकरण, जाति मेधवाल, निवासी धींधवा आथूना, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू–राज०
3. रामसिंह, पुत्र श्री बुद्धराम, जाति नायक, निवासी तोदा, हाल निवासी धींघवा आथूना, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू–राज०
4. विद्यादेवी, पत्नि श्री महावीर, जाति धाणक, निवासी गोठ, हाल निवासी धींघवा आथूना, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू–राज०
5. अमन कुमार नाबालिक पुत्र प्रिंयका बाडेटिया, पिता व संरक्षक सुरेन्द्र कुमार, जाति मेघवाल, निवासी सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
6. पियांसु कुमार नाबालिक पुत्र प्रिंयका बाडेटिया, पिता व संरक्षक सुरेन्द्र कुमार, जाति मेधवाल, निवासी सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज०
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—— **प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत बेदखली एवं स्थाई निशेधाज्ञा</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक:– 29/07/....2025

वादीगण ने घोषणार्थ एवं स्थाई निशेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धीधंवा आथूणा, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू–राज०, की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 491 / 128 रकबा 0. 09 है०, गै. मु. रास्ता, खसरा नं. 657 / 128 रकबा 0.36 है०, अवस्थित है, जिसका वादी सह–खातेदार, काश्तकार हैं तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी का हिस्सा 1 / 2, व प्रतिवादी नं. 5. व 6 की माता स्व० प्रिंयका का हिस्सा 1 / 2, दर्ज वर्तमान भू–अभिलेख है। वास्ते मुलाहिजा राजस्व रिकॅार्ड वर्तमान जगाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077, नक्शा, हल्का पटवारी खेड़ला की मौका रिर्पोट दिनांक 29–09–2023, लफ दावा है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

यह कि वाद–पत्र में वर्णित कृषि भूमि मुताबिक मौजा धींधवा आथूणा की वर्तमान जमाबंधी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 78 में वर्णित कृषि भूमि में वादी सह–खातेदार में है तथा उक्त कृषि भूमि का मौखिक तथा आपसी सुलह से बँटवारा कर उक्त खातेदारान वादी तथा प्रतिवादी नं. 5 व नं. 6 की माता ने अपने–अपने हिस्से का आपस में बैठ कर, सुलह से भाई बँटवारा कर, भौतिक तौर पर अपना–अपना हिस्सा कायम कर लिया था प्रन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमि का बाई मीट्स व बाई बाउण्ड्स विभाजन वादी व प्रतिवादी नं. 5, व 6 के मध्य नहीं हुआ।

यह कि वादी नोकरी पैशा व्यक्ति है अक्सर अपने परिवार सहित बहार रहता है कभी–कभार अपने खेत में आता–जाता रहता है तथा अपने हिस्से की कृषि भूमि को बटाई पर देता है गत माह जब वादी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को आवारा पशुओ से सुरक्षा के लिए तारबंदी आदी करने के लिए राजस्व विभाग से रिकॉर्ड निकलवा कर सीमाज्ञान किया तो वादी को इल्म हुआ कि वादी के हिस्से में आई कृषि भूमि खसरा नं. 657/128 के पूर्वी हिस्से पर प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 ने बिना किसी विधिक अधिकार के नाजायज तौर पर कुल रकबा 0.03 है०, पर अतिक्रमण कर रखा है।

यह कि वादी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 657/128 में अतिक्रमी घोषित कर उक्त खसरा नं. 657/128 से बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण को बार बार आवाज लगाई गई आवाज पर न तो प्रतिवादी हाजिर आया न ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई वकील हाजिर आया। प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, नकल पटवारी रिपोर्ट दिनांक 29.09.2023 भूमि खसरा नं. 491/128, 657/128 मौजा ग्राम धिंधवा आथुना तहसील पिलानी।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबुत का ध्यान पूर्वक अवलोकन व बहस वकील वादी पर मनन किया गया। चुंकी राजस्व ग्राम धीधंवा आथूणा, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू–राज०, की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 491/128 रकबा 0. 09 है०, गै. मु. रास्ता, खसरा नं. 657/128 रकबा 0.36 है० वादी की खातेदारी भूमि है। इसलिये वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या :– 228 / 2023
विजय बनाम रोहताश सिंह वगै0
निर्णय दिनांक:– 29/7/ .2025

आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वाके राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम धीधंवा आथूणा, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू–राज0, की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 657 / 128 रकबा 0.36 है0 वादी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को उक्त भूमि में अतिकमी घोषित कर खसरा नं. 657 / 128 से बेदखल किया जाता है, तथा उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि अतिकमीयों को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे तथा उक्त भूमि पर निर्माण वगै0 को प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(दीपक चंदन)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 29/7/.......2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक चंदन)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या :– 228 / 2023
विजय बनाम रोहताश सिंह वगै0
निर्णय दिनांक:– 29/7/2025

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपक चंदन, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 228 / 2023

निर्णय दिनांक:– 29/7/2025

विजय बनाम रोहताश सिंह वगै0

दावा बाबत बेदखली एवं स्थाई निशेधाज्ञा

वादी की ओर से सुश्री संजू कुमारी एड0 की उपस्थिती में इस वाद में आज दिनांक 29/07/2025 को दिपक चंदन, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकि दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम धीधंवा आथूणा, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू–राज०, की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 657 / 128 रकबा 0.36 है० वादी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को उक्त भूमि में अतिकमी घोषित कर खसरा नं. 657 / 128 से बेदखल किया जाता है, तथा उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि अतिकमीयों को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे तथा उक्त भूमि पर निर्माण वगै0 को प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावे। राजीनामा निणर्य व डिकि का भाग रहेगा। पर्चा डिकी मूर्तिब हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 29/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दीपक चंदन)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़